CNR No.UPMH010031392026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

उपस्थितः अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0 आई0डी0यू0पी01904

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–959 / 2026

बृजेश सिंह पुत्र जगतनरायन उम्र करीब 46 वर्ष साकिन मौजा–रजौड़ा खुर्द थाना पनियरा, जनपद महराजगंज।

...आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ...अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–181 / 2026
धारा–281, 105 बी0एन0एस0
थाना–पनियरा, जनपद–महराजगंज।

20–07–2026 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क**

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त बृजेश सिंह की ओर से अपराध संख्या–181 / 2026 धारा–281, 105 बी0एन0एस0 थाना–पनियरा, जनपद–महराजगंज में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2– आवेदक / अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के प्रस्तर–9 में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है, न लम्बित है और न ही खारिज हुआ है।

3– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी धर्मेन्द्र पासवान ने दिनांक 12–06–2026 को थाना पनियरा, जिला महराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि वह ग्राम जंगल जरलहा उर्फ अनन्तपुर मोथई थाना पनियरा, जनपद महराजगंज का निवासी है। घटना दिनांक 07–06–2026 को समय 03:00 बजे दिन की है। वह अपनी पत्नी रागिनी को अपने टी वी एस एक्स एल पर पीछे बैठाकर रजौड़ा खुर्द जा रहा था और जब वह रजौड़ा खुर्द नहर के पास पहुंचा तभी ट्रैक्टर ट्राली वाहन संख्या–यूपी 56 ए जे 8249 का ड्राइवर बृजेश सिंह पुत्र जगतनरायन ग्राम रजौड़ा खुर्द तेज गति व घोर लापरवाहीपूर्वक पीछे से रागिनी को ठोकर मार दिया

जिससे उसे गम्भीर चोट लगी जिसकी बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज ले जाते समय मृत्यु हो गयी। उक्त घटना को विजय पुत्र बेलास जो गांव के हैं तथा अन्य तमाम लोगों ने देखा, अनुरोध किया कि मुकदमा दर्ज किया जाये। वादी की सूचना पर थाना पनियरा, जनपद महराजगंज में अपराध सं0–181/2026 धारा–281, 106(1) बी0एन0एस0 अभियुक्त बृजेश सिंह के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना धारा–106(1) बी0एन0एस0 को विलोपित करते हुये मामला धारा 105 बी0एन0एस0 में परिवर्तित किया गया।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह वाहन संख्या–यूपी 56 ए जे 8249 स्वराज–960 का पंजीकृत व विधिक स्वामी है। दिनांक 07–06–2026 को वह उक्त वाहन नहीं चला रहा था बल्कि उसका उक्त वाहन आवेदक का ड्राइवर भरतरी पुत्र रमाशंकर निवासी मौजा–रजौड़ा कला, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज चला रहा था जिसके सन्दर्भ में आवेदक के गांव के चश्मदीद साक्षी त्रिवेनी, सुधीर कुमार एवं बाके बिहारी हैं तथा घटना के सन्दर्भ में नोटरी मय शपथपत्र के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में विवेचक को जरिये पुलिस अधीक्षक, महराजगंज दिया गया है। आवेदक एक खेतिहर किसान है जिसके पास अच्छी–खासी खेतीबारी है जिसे जोतने के लिये आवेदक ने भरथरी को उक्त वाहन को चलाने हेतु चालक के रूप में मासिक तनख्वाह पर रखा है। आवेदक न तो लापरवाहीपूर्वक तेज गति से वाहन चला रहा था और न ही उसके वाहन से किसी की मृत्यु हुयी है। आवेदक को स्थानीय थाना की पुलिस वादी के प्रभाव में आकर अपमानित व उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा घूमिल करने के उद्देश्य से गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत होने के बाद आवेदक किसी साक्षी को डरायेगा–धमकायेगा नहीं और दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग करेगा तथा समस्त आदेशों–निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा। आवेदक उचित व स्थानीय प्रतिभू देने को तैयार है, अनुरोध किया कि उसका अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उसे अग्रिम जमानत मुचलके पर रिहा किया जाये।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तथ्य रखा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुये वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गयी जिससे मोटरसाईकिल पर पीछे बैठी उसकी पत्नी को चोटें आयी और मेडिकल कालेज ले जाते समय उसके पत्नी की मृत्यु हो गयी

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7– उभय पक्षों के तर्को को सुननें एवं केस डायरी के अवलोकन के उपरान्त स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुये वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गयी जिससे मोटरसाईकिल पर पीछे बैठी उसकी पत्नी को चोटें आयी और मेडिकल कालेज ले जाते समय उसके पत्नी की मृत्यु हो गयी है।

इस मामले में आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत वाहन का स्वामी होना बताया गया है और घटना दिनांक 07–06–2026 को दिन में 03:00 बजे की होनी बतायी गयी है जबकि इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र 03 किलोमीटर दूर थाना पनियरा जिला महराजगंज में दिनांक 12–06–2026 को 13:23 बजे थाना दर्ज करायी गयी है और इस विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है।

केस डायरी के पर्चा नं0–11 के अनुसार गवाह बांके बिहारी, सुधीर कुमार मल्ल एवं त्रिवेनी ने दौरान विवेचना पुलिस अधीक्षक को इस आशय का साक्ष्य शपथ पत्र दिया है कि वाहन संख्या–यू0पी0 56 ए 8249 ट्रैक्टर मय ट्राली भरथरी पुत्र रमाशंकर साकिन मौजा रजौड़ा कला थाना पनियरा, जनपद महराजगंज के द्वारा सावधानीपूर्वक चलाया जा रहा था जिसका कोई खण्डन अभियोजन की ओर से इस स्तर तक नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मामले में केस डायरी एवं उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य शपथपत्र में स्पष्ट यह कथन किया गया है कि इस मामले की घटना के समय आवेदक/अभियुक्त बृजेश सिंह द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत वाहन संचालित नहीं किया जा रहा था बल्कि उक्त वाहन भरथरी पुत्र रमाशंकर साकिन मौजा रजौड़ा कला थाना पनियरा, जनपद महराजगंज के द्वारा उक्त ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है।

8– उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

9– आवेदक/अभियुक्त बृजेश सिंह का **अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानती संबंधित थाना/न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँक: 20–07–2026

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी0 1904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।